# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 5427/विस/स्था./2011 रायपुर, दिनांक : 28/4/11

## आदेश

आदेशानुसार, शुक्रवार दिनांक 29.4.2011 से जिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हड़ताल में सम्मिलित होने अथवा अन्य कारणों से अवकाश के आवेदन प्रस्तुत किये हैं, वे समस्त आवेदन अस्वीकृत किये जाते हैं ।

अनुपस्थित रहने की स्थिति में अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एवं सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

आदेश से,

28/04/11

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 5428/विस/स्था/2011 रायपुर, दिनांक : 28/4/11

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. माननीय उपाध्यक्ष के निज सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(96)

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /विस/स्था./2011 रायपुर, दिनांक :

## आदेश

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 (दो) में यह प्रावधान है कि कोई भी शासकीय सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा ।

अतः आदेशानुसार, सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2011 से प्रस्तावित भूख हड़ताल में विधान सभा सचिवालय का कोई भी शासकीय सेवक हड़ताल में शामिल न हो । हड़ताल में शामिल होने की दशा में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अवचार माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी ।

आदेश से,

हस्ता/-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 5432/विस/स्था/2011 रायपुर, दिनांक : 28/04/2011
प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. माननीय उपाध्यक्ष के निज सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

28/4/11
वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(9)

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /विस/स्था./2011 रायपुर, दिंनांक :

## सूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के कतिपय कर्मचारियों ने **"छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय शासकीय कर्मचारी संघ"** नाम से रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज् के यहॉ एक संस्था का गठन किया है।

संस्था के पदाधिकारियों ने पंजीबद्ध उद्देश्यों के विपरीत कर्मचारियों को भ्रम एवं धोखे में रखकर सिविल सेवा आचरण नियमों का घोर उल्लंघन करते हुये हड़ताल, धरना आदि आयोजित कर विधान सभा सचिवालय की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को गम्भीर आघात पहुँचाया है।

उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाली इस संस्था को विधान सभा सचिवालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है, इसकी गतिविधियों में परोक्ष/अपरोक्ष रूप से सम्मिलित होना सिविल सेवा आचरण नियमों एवं अन्य प्रचलित विधियों के विपरीत है ।

आदेश से,

ह/-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 5636/विस/स्था/2011 रायपुर, दिनांक : 5/5/2011

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. माननीय उपाध्यक्ष के निज सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा